हुक्म में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 03/2016

उनवान:– राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरेंकां तह0टिब्बी।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित:– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री छगन लाल सिडाना अभिभाषक अप्रार्थीयान।

–:निर्णय:–

दिनांक:–09.10.2017

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 4.6.14 को विशेष जांच दल हनुमानगढ द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरेकां तह0 टिब्बी की उचित मूल्य दुकान की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर की गणना करने पर गेहूं के वांछित स्टॉक 5060 क्विंटल गेहूं के स्थान पर 51.50 क्विंटल गेहूं पाया गया तथा केरोसीन 2160 लीटर के स्थान पर 2150 लीटर उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार 90 किलो गेहूं अधिक पाई गई। स्टॉक में अधिक पाये गये 90 किलो गेहूं जब्त सरकार किया गया तथा उक्त जब्त किये गये गेहूं को श्री रामस्वरूप गोदारा व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरेकां की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जारी अधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 90 किलो गेहूं को राजसात करने का श्रम करावें।

प्रथमतः प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 25.07.14 को पेश हुआ, तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के जबाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच के आने से पूर्व जयदेव वार्ड 5 ने अपने राशन कार्ड पर 30 किलो व ओमप्रकाश ने अपने राशन कार्ड पर 30 किलो व मदन लाल ने अपने राशन कार्ड पर 30 किलो गेहूं

Web Copy - Not Official

ग सेवासहकारी समिति से प्राप्त की लेकिन उक्त तीनों राशन कार्ड धारी उचित मूल्य की दुकान यह कहकर छोड़कर गये कि वे गांव में किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है वे उसके अंतिम स्कार से वापिस लौट कर गेहूं ले जावेंगे। इस बीच जांच दल द्वारा जांच करने पर उक्त 90 लो गेहूं अधिक पाई गयी। उक्त तीनों राशनकार्ड धारियों के शपथ पत्र भी सलंग्न किये हैं। अतः करण की कार्यवाही समाप्त कर 153 रूपये की राशि वापिस लौटाए जाने के आदेश फरमावें

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि उक्त ब्त गेहूं स्टॉक से अधिक पाई गयी है जिसे राजसात किया जाना विधिवत है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए तलाया कि उक्त उक्त राशनकार्ड धारियों की थी उनके गांव में किसी व्यक्ति के अन्तिम संस्कार में ामिल होने के कारण गेहूं ग्राम सेवा सहकारी समिति पर छोड़कर गये थे। इसलिए जब्त गेहूं की राशि जो राजकोष में जमा कराई जा चुकी है उसे अप्रार्थी को ब्याज सहित लौटाया जावे व कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी कार्यालय के जांच दल द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति से स्टॉक से अधिक उक्त 90 किलो गेहूं पाया गया । जबाब के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र After Thought प्रतीत होते है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त गेहूं का इन्द्राज गलत रूप से स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। जिसको राजसात किया जाना उचित है।

अतः ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरेकां से जब्त 90 किलो गेहूं राजसात किया जाता है। उक्त उक्त गेहूं की राशि राजकोष में चालान सं. 3362014 दिनांक 15.9.14 से 153/– रूपये जमा कराये जा चुके हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official